Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to enhance Deposit Insurance limit from Rs. 1 lakh to Rs. 15 lakh.

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में पंजाब एवं महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में वित्तीय त्रासदी के कारण कई डिपोजिटरों को अपने पैसों की परेशानी सहन करनी पड़ रही है । एक, मैं आपकी तरफ से सरकार से इसके रिवाइवल पैकेज की जल्दी घोषणा करने की माँग करता हूं । दूसरा, वर्ष 1993 का कानून है, जिसके अंतर्गत डिपोजिटरों के एक लाख रुपये तक के डिपोजिट सुरक्षित है । लेकिन उसके बाद वर्ष 1993 को आज 26 साल हो चुके हैं, सरकार इसको बढ़ाने की मंशा रखती है । मेरी आपकी तरफ से सरकार से मांग है कि यह एक लाख रुपये की डिपोजिट की सुरक्षा को 15 लाख कर दिया जाए । वित्तीय त्रासदी के कारण ऐसे बैंक जब परेशानी में हो तो डिपोजिटरों का पैसा सुरक्षित रह पाए । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री गोपाल शेट्टी और डॉ. संजय जायसवाल को श्री मनोज कोटक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।